

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

संख्या:ई-6797/06-जी0एस0/2024(Viii)

दिनांक 25 सितम्बर, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।


विषय के0आई0ई0टी0 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गाजियाबाद को शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: अ0का0प्रा0वि0/कुप0का0/2024/13701, दिनांक 02 सितम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की विनियमावली, 2010 के विनियम 6.29(छ) उपखण्ड (घ) में विहित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की संस्तुति, (कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10-08-2024 में मद संख्या-49.02 के बिन्दु-1), अनुसार माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा "के0आई0ई0टी0 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गाजियाबाद" को आटोनॉमस स्टैटस (शैक्षिक स्वायत्तता) प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3. कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से इस सचिवालय को भी सूचित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,


(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव ।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
लखन ऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव ।